दिनांक 06.08.2025
प्रेस विज्ञप्ति 07/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एस0टीएफ0–कूटरचित दस्तावेज से कर्मचारियों के फर्जी प्रोफाइल बनाकर बैंकों से लोन लेकर करोडों रूपये की धोखाधड़ी करने वाले गैंग के सरगना सहित दो अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांकः 05–08–2025 को एस0टीएफ0 उत्तर प्रदेश को कूटरचित दस्तावेज से कर्मचारियों के फर्जी प्रोफाइल बनाकर बैकों से लोन लेकर करोड़ों रूपये की धोखाधड़ी करने वाले गैंग के सरगना सहित दो अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः–

1– गौरव दुआ पुत्र हरीश दुआ निवासी ए–10 नेहरू ग्राउण्ड, एनआईटी, नियर 999 रेस्टोरेन्ट, फरीदाबाद, हरियाणा ।

2– देवेश बैसोया पुत्र जय सिंह निवासी 42 गढी ईस्ट ऑफ कैलाश, लाजपत नगर, नई दिल्ली

गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामदगीः–

1– 5,10,000/– रूपया नगद (भारतीय मुद्रा)
2– 63 आई0डी0 कार्ड (विभिन्न कम्पनियों के)
3– 30 चैक बुक (विभिन्न बैकों की)
4– 39 क्रेडिट/डेबिट कार्ड (विभिन्न बैकों के)
5– 08 अदद मोबाइल
6– 03 अदद लैपटॉप (केस से सम्बन्धित)
7– 02 अदद कूटरचित मोहर बैंक/कम्पनी की
8– 07 पैन ड्राइव
9– 01 अदद क्रेटा गाड़ी
10– विभिन्न कम्पनियों से सम्बन्धित कई महत्वपूर्ण दस्तावेज आदि।

गिरफ्तारी का दिनांक समय/स्थानः–

दिनांक 05–08–25 समय 23.00 बजे, यशोदा हॉस्पिटल के पास से, थाना कौशाम्बी, जनपद गाजियाबाद क्षेत्र।

दिनांक 03–08–2025 को अभियुक्तों द्वारा बजाज फाईनेन्स लि0 के माध्यम से विभिन्न बैकों से धोधाखड़ी से करोड़ों रूपयों का लोन कराना तथा लोन की किस्त जमा न कराये जाने आदि के सम्बन्ध में थाना कौशाम्बी, गाजियाबाद पर मु0अ0स0 313/25 धारा 406/467/468/ 471/411/120बी भादवि का अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसके सम्बन्ध में अभिसूचना संकलन कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में श्री राज कुमार मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, नोएडा एवं श्री

नवेन्दु कुमार, पुलिस उपाधीक्षक एसटीएफ नोएडा के पर्यवेक्षण में उप निरीक्षक श्री अक्षय पीके त्यागी के नेतृत्व्य टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांक 05–08–2025 को अभिसूचना संकलन के दौरान उप निरीक्षक श्री अक्षय पी0के0 त्यागी, एस0टी0एफ0 नोएडा की टीम उपरोक्त अपराधियों के सम्बन्ध में जनपद गाजियाबाद में भ्रमणशील थी तो उसी दौरान मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि इस गैंग का सरगना अपने साथी के साथ कौशाम्बी क्षेत्र में किसी से मिलने आने वाला है। इस सूचना को विकसित करने के उपरान्त सूचना से उक्त अभियोग के विवेचक को अवगत कराया गया। तत्पश्चात एसटीएफ टीम द्वारा तत्परतापूर्वक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए जनपद गाजियाबाद की पुलिस को साथ लेकर गन्तव्य स्थान पर पहुॅच कर उपरोक्त दोनो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से उपरोक्त बरामदगी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त गौरव दुआ ने पूछताछ पर बताया कि उसकी उम्र लगभग 41 साल है तथा उसने वर्ष 2006 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से बी0कॉम किया है। बताया कि उसने वर्ष 2005 से 2020 तक विभिन्न कम्पनी जैसे एयरटेल में डेटा ऑपरेटर तथा एसबीआई कार्ड में डेटा एनालिसिस में काम किया है। अभियुक्त गौरव दुआ वर्ष 2020 में अपना होम लोन लेने के प्रयास में दिल्ली निवासी अविनाश रंजन कुमार के संपर्क में आया, जो विभिन्न बैकों के लिए डी0एस0एल0 (Direct Sales agency) का काम करता था, बाद में अविनाश रंजन कर्मचारियों के फर्जी प्रोफाइल बनाकर बैकों से लोन लेकर धोखाधड़ी से हड़पने का काम करने लगा था। अविनाश रंजन से बैकों से लोन लेने का काम सीखकर गौरव दुआ भी साथ काम करने लगा। अभियुक्त गौरव दुआ ने बताया कि लोगों को पैसे का लालच देकर उनके कूटरचित दस्तावेज एवं उनकी आई0डी0 ले लेते हैं और उसके बाद जो कम्पनी उनके संपर्क में रहती है, उनको कमीशन देकर कम्पनी के पैरोल पर दिखाकर उनकी कुछ महीने की सैलरी उनको एकाउन्ट में डालकर निकाल लेते हैं जिससे उनका सिविल स्कोर अच्छा बन जाता है, फिर इन लोगो की प्रोफाइल पर भारी भरकम लोन की राशि Approve करा लेते हैं, जिसके लिए अभियुक्त गौरव को 40 प्रतिशत कमीशन मिलता है। अभियुक्त गौरव दुआ एवं इसके गैंग के द्वारा विगत चार वर्षो में नेक्सेज प्रा0लि0 कम्पनी, इनोवसोर्स, कैलीबर बिजनेस सोल्यूशन प्रा0लि0, रैन्ड स्टड इण्डिया प्रा0लि0 एवं गुप फोर फैसलिटी कम्पनी के पैरोल पर कई फर्जी कर्मचारी दिखाकर बैकों से करोड़ों रूपयो का लोन लेकर धोखाधड़ी करने की बात प्रकाश में आयी है। अभियुक्त गौरव दुआ की लाजपत नगर दिल्ली निवासी प्रदीप से बहुत पहले से जान पहचान थी और इसी के माध्यम से अभियुक्त गौरव दुआ की मुलाकात देवेश बैसोया से हुई थी और तभी से यह लोग एक संगठित गिरोह बनाकर बैकों से लोन लेने का गैंग चला रहे हैं। पूछताछ के दौरान यह बात भी प्रकाश में आयी है कि अभियुक्त गौरव दुआ एवं इसके गैग के द्वारा फर्जी प्रेाफाइल बनाकर आईडीएफसी, कोटक महिन्द्रा बैंक, बजाज फाइनेन्स कम्पनी, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैक, एसडीएफसी बैक, एसएमएफजी, आदित्य बिडला, हीरामल, होम केडिट, Incred, आरबीएल, यशबैंक से लगभग 10 करोड रूपयों से अधिक का फर्जी लोन लेकर धोखाधड़ी की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्तों को थाना कौशाम्बी के उपरोक्त अभियोग में दाखिल किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

मेटा के अलर्ट से पुलिस मुख्यालय लखनऊ के निर्देश पर जनपदीय पुलिस द्वारा मात्र 09 मिनट के अन्दर मौके पर पहुँच कर, बचायी गयी युवक की जान

दिनांक 06–08–2025 को जनपद बरेली के थाना बारादरी निवासी, ट्रांसपोर्ट में मजदूरी का कार्य करने वाले, लगभग 21 वर्षीय युवक द्वारा पंखे में फांसी का फंदा बनाकर उसे गले में डालकर, **"गुड बाय ज़िन्दगी"** यह टेक्स्ट लिखकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया। उक्त पोस्ट के संबंध में दिनांक 06–08–2025 को 11:41 AM पर मेटा कंपनी की तरफ से मुख्यालय पुलिस महानिदेशक स्थित सोशल मीडिया सेन्टर को ई–मेल के ज़रिए एलर्ट प्राप्त हुआ। जिसका तत्काल संज्ञान लेकर उच्चाधिकारियों को संज्ञानित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, श्री राजीव कृष्णा द्वारा उक्त एलर्ट पर तत्काल कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। मेटा कम्पनी द्वारा भेजे गये अलर्ट का संज्ञान लेकर मुख्यालय की सोशल मीडिया सेन्टर द्वारा प्राप्त अलर्ट में उपलब्ध कराये गये मोबाइल नम्बर के आधार पर तत्काल युवक की लोकेशन की जानकारी करके जनपद बरेली को प्रकरण से अवगत कराया गया।

मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना एवं लोकेशन पर थाना बारादरी के उ0नि0 मात्र 09 मिनट के अन्तराल में युवक के घर पहुंच गए एवं परिजनों से तत्काल युवक के सम्बन्ध में जानकारी कर, परिजनों को साथ लेकर युवक के कमरे में पहुंचे और अविलम्ब युवक के गले से फन्दा निकाल कर उसे नीचे उतारा गया। उप निरीक्षक द्वारा परिजनों के सहयोग से युवक का घरेलु प्राथमिक उपचार किया गया। युवक के सामान्य होने पर उप निरीक्षक द्वारा उससे जानकारी की गयी, तो उसके द्वारा बताया गया कि उसकी शादी करीब एक साल पूर्व हुई है, युवक की पत्नी उसको घर से अलग रहने के लिए बाध्य करती है किन्तु युवक अपने परिवार के साथ ही रहना चाहता है, इसी बात को लेकर उसकी पत्नी शादी के कुछ समय बाद ही अपने मायके चली गई और वापस नहीं आ रही है। युवक द्वारा कई बार अपनी पत्नी को वापस लाने का प्रयास किया गया, किन्तु वह नहीं आई। इसी बात से युवक द्वारा मानसिक रूप से परेशान होकर आत्महत्या करने के उद्देश्य से ऐसा कदम उठाया गया था। स्थानीय पुलिस द्वारा समय से पहुँच कर युवक को आत्महत्या करने से रोका गया एवं काउन्सलिंग की गयी, जिस पर युवक द्वारा भविष्य में ऐसी गलती नहीं करने का आश्वासन दिया गया। युवक के परिजनों द्वारा स्थानीय थाने के पुलिसकर्मियों की तत्परता तथा उनके सहयोग हेतु उ0प्र0 पुलिस को धन्यवाद दिया गया।

उत्तर प्रदेश पुलिस एवं मेटा कम्पनी के मध्य 2022 से प्रचलित व्यवस्था के अंतर्गत यदि कोई भी व्यक्ति फेसबुक अथवा इंस्टाग्राम पर आत्महत्या किए जाने से सम्बंधित पोस्ट करता है तो ऐसी पोस्ट के सम्बंध में मेटा कम्पनी द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस को ई–मेल एवं फोन के माध्यम से अलर्ट भेजकर सूचित किया जाता है। **दिनांक 01–01–2023 से 31–07–2025 के मध्य आत्महत्या संबंधी पोस्ट पर प्राप्त अलर्ट का संज्ञान लेकर कुल 1195 व्यक्तियों के प्राणों की रक्षा** उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा की जा चुकी है।

जनपद हापुड़/थाना गढ़मुक्तेश्वर

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 होण्डा सिटी कार बरामद**

दिनांक 06.08.2025 को थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नेह नीड तिराहे के पास चेकिंग के दौरान बदमाश की घेराबन्दी की गई तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त आमिर घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 होण्डा सिटी कार बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना गढ़मुक्तेश्वर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना गढ़मुक्तेश्वर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—आमिर निवासी लाल बाँग सवार नगर थाना तिलहर शाहजहाँपुर, हालपता वार्ड नं0—10 थाना फलावदा जनपद मेरठ।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

2—घटना में प्रयुक्त 01 होण्डा सिटी कार।

जनपद अयोध्या/थाना तारून

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **चोरी की (पीली–सफेद) धातु के आभूषण**
- **2450/–रूपये नगद**
- **03 मोबाइल फोन**
- **01 गैस सिलेण्डर बरामद**

दिनॉकः 05.08.2025 को थाना तारून पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नरायनपुर से 02 अभियुक्तों 1–राजेन्द्र उर्फ रज्जू 2–सनोज को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद चोरी की (पीली–सफेद) धातु के आभूषण, 2450/–रूपये नगद, 03 मोबाइल फोन, 01 गैस सिलेण्डर बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना तारून क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना तारून पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण चोरी की घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना तारून पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राजेन्द्र उर्फ रज्जू निवासी बनमनसईया फतेहपुर कमासिन थाना तारून जनपद अयोध्या।

2–सनोज निवासी सनैसा थाना महराजगंज जनपद अयोध्या।

बरामदगी

1–चोरी की (पीली–सफेद) धातु के आभूषण।

2–2450/–रूपये नगद।

3–03 मोबाइल फोन।

4–01 गैस सिलेण्डर।

जनपद हापुड़/थाना हापुड़ नगर

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा अभियुक्त गिरफ्तार**
- **06 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा विभिन्न बोर**
- **अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 05.08.2025 को थाना हापुड़ नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अमीपुर नगौला से मुकीमपुर की ओर जाने वाले रास्ते पर रेलवे ओवर ब्रिज के पास से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे अभियुक्त महेश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 06 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा विभिन्न बोर, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना हापुड़ नगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—महेश निवासी मुकीमपुर थाना भोजपुर कमिश्नरेट गाजियाबाद, हालपता अशोक नगर थाना पिलखुवा जनपद हापुड़।

बरामदगी

1—06 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा विभिन्न बोर।

2—अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

➢ जनपद सीतापुर/थाना महोली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 15—15 हजार रूपये अर्थदण्ड)

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सीतापुर द्वारा थाना महोली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 147/148/307/149/504/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1—बेचेलाल 2—प्रदीप को 10—10 वर्ष के सश्रम कारावास व 15—15 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद अम्बेडकरनगर/थाना भीटी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 36 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा थाना भीटी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366/506 एवं 376 भादवि सपठित धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त शंकर उर्फ लुल्लुर को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 36 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।